

**न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर**

बड़ज्लास – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 31/2018

**प्रार्थी**  
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा  
अधिकारी कार्यालय मुख्य  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
कम अभिहित अधिकारी, नागौर

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**  
1राजेन्द्र कुमार टाक पुत्र बाबूलाल टाक जाति माली  
निवासी मुण्डवा रोड, कुचेरा तहसील मुण्डवा जिला नागौर।  
फर्म-मैसर्स श्रीराम किराणा एण्ड पशु आहार, बायांजी का थान,  
कुचेरा तहसील मुण्डवा जिला नागौर।  
2हरेन्द्र फरडोदा पुत्र रामनिवास फरडोदा  
निवासी 156, चूडीघरो का मोहल्ला, मेडतासिटी।  
फर्म-मैसर्स पीयूष ट्रेडिंग कम्पनी, नाहरो का थडा, मेडतासिटी।

**आदेश**

दिनांक :25.02.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 09-10-2017 को मैसर्स श्रीराम किराणा एण्ड पशु आहार, बायांजी का थान, कुचेरा तहसील मुण्डवा जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ चाय (रूपाली गोल्ड ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 907 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/959/एक्ट/2017/959 दिनांक 26.10.2017 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना चाय (रूपाली गोल्ड ब्राण्ड) मिस ब्राण्डेड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त राजेन्द्र कुमार टाक पुत्र बाबूलाल टाक जाति माली निवासी मुण्डवा रोड, कुचेरा तहसील मुण्डवा जिला नागौर तथा हरेन्द्र फरडोदा पुत्र रामनिवास फरडोदा निवासी 156, चूडीघरो का मोहल्ला, मेडतासिटी जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ. एस.एस.ए.2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 16-08-2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 पूर्व में दिनांक 19.03.20 को उपस्थित हुआ। इसके पश्चात गैर हाजिर रहा है। अप्रार्थी सं. 1 राजेन्द्र कुमार ने नै अपना जुर्म स्वीकार किया तथा भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने हेतु आश्वस्त भी किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/959/एक्ट/2017/959 दिनांक 26.10.2017 के अनुसार खाद्य पदार्थ चाय (रूपाली गोल्ड ब्राण्ड) का नमूना मिस ब्राण्डेड पाया गया है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। अतः अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 राजेन्द्र कुमार टाक पुत्र बाबूलाल टाक जाति माली निवासी मुण्डवा रोड, कुचेरा तहसील मुण्डवा जिला नागौर पर रूपये 10,000 अक्षरे रूपये दस हजार तथा हरेन्द्र फरडोदा पुत्र रामनिवास फरडोदा निवासी 156, चूडीघरो का मोहल्ला, मेडतासिटी जिला नागौर पर रूपये 15,000/- अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार कुल रूपये 25,000/- अक्षरे पच्चीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते हैं तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)

अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर  
नागौर